

File. No. SY-13013/1/2020-SBR
Government of India
Ministry of Shipping
(SBR Division)

Transport Bhawan, Parliament Street
New Delhi- 110001
Dated the, 15th September, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: SOP for charter of tugs by Major Ports under Atmanirbhar Abhiyan Policy and implementation of Public Procurement (Preference to Make in India) Order of DPIIT dated 04.06.2020-regarding

The undersigned is directed to enclose a copy of SOP for charter of tugs by Major Ports under Atmanirbhar Abhiyan Policy and to request you to kindly upload the same on website of this Ministry for easy access of stakeholders.



(R.K. Sen)
Assistant Director(SBR)
Tel No. 011-23715207
Email id: adsbr@nic.in

Tech Director, NIC
(Kind attention: Ms.Lissy George)
Room No/Intercom: 429/5480
Email: lissy@nic.in
Ministry of Shipping
Transport Bhawan

Copy to

Director (DP)

**आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महापत्तनों द्वारा टगों के चार्टर करने/ खरीदने के लिए
मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)**

भारत सरकार स्वावलंबन प्राप्त करने के उद्देश्य से "आत्मनिर्भर भारत अभियान" नामक महत्वाकांक्षी अभियान चला रही है, जिसके परिणामतः मेक इन इंडिया और भारत में निर्माण को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य न केवल एमएसएमई और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना है बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को सुविधाजनक बनाना तथा साथ ही उसी समय यह सुनिश्चित करना भी है कि भारत सभी आयामों में सही रूप से स्वावलंबी बने। सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017, "पीपीपी-एमआईआई आदेश, 2017" को जून, 2020 में संशोधित किया गया था और यह इस संदर्भ में भी प्रासंगिक है।

2. पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों को कार्यान्वित करने की अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में अपने प्रशासन एवं प्रचालन के क्षेत्रों में इस पहल के अनुपालन को सुनिश्चित एवं सक्षम बनाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना चाहता है। इस संदर्भ में शुरू किए जा रहे कई उपायों के भाग के रूप में पोत परिवहन मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत महापत्तनों द्वारा पत्तन क्राफ्टों की खरीद/चार्टरिंग से संबंधित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का प्रस्ताव रखता है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में टगों की खरीद/ चार्टरिंग के लिए निम्नलिखित एसओपी कड़े अनुपालन हेतु एतद्वारा जारी किए जाते हैं:

- i. भविष्य में विशेष मामलों को छोड़कर टगों को सामान्यतया अल्पावधि के लिए चार्टर नहीं किया जाएगा दैनिक पत्तन प्रचालनों के लिए विशेष चार्टर समझौते 7 वर्षों की अवधि से कम नहीं होने चाहिए।
- ii. औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिनांक 04.06.2020 को जारी सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश के पैरा 3(ख) के अनुसरण में महापत्तनों द्वारा 200 करोड़ रूपए से कम के अनुमानित खरीद मूल्य वाले टगों की खरीद या चार्टरिंग के लिए कोई वैश्विक निविदा सूचना जारी नहीं की जानी है। महापत्तनों को मेक इन इंडिया आदेश के शीघ्र

कार्यान्वयन में सहायता देने के लिए यह मंत्रालय अनुमोदित मानकीकृत टग डिजाइन एवं विनिर्देशन (एएसटीडीएस) जारी करने का प्रस्ताव करता है।

- iii. कुछ प्रकारों (शुरूआत में लगभग 5 प्रकारों के लिए) एएसटीडीएस का विकास आईपीए, डीजीएस, आईआरएस, सीएसएल और एससीआई के प्रतिनिधियों वाली 'स्थायी विनिर्देशन समिति' (एसएससी) की सिफारिशों के आधार पर सीएसएल के माध्यम से आईपीए द्वारा किया जाएगा। एएसटीडीएस जिसमें आउटलाइन स्पेसिफिकेशन, जनरल एरंजमेंट, बेसिक केलकुलेशन, बेसिक स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग्स, की सिस्टम ड्रॉइंग्स और अन्य निर्माण मानक आदि शामिल हैं, का तकनीकी रूप से पुनरीक्षण एसएससी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद एएसटीडीएस को आईआरएस द्वारा 'सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित' किया जाएगा और आईपीए द्वारा अपनी सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
- iv. पत्तन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार टगों को या तो खरीद सकते हैं या चार्टर कर सकते हैं। संभावित बोलीकर्ताओं (शिपयार्ड-अगर पत्तनों या टग प्रचालक द्वारा टगों को सीधा खरीदा जाता है-यदि निविदा चार्टर के लिए है) को योजना बनाने और एएसटीडीएस के अनुपालन करने वाले जलयानों की आपूर्ति करने हेतु पर्याप्त समय देने के लिए खरीद/ चार्टर हेतु समय रहते निविदाएं जारी की जानी चाहिए। एएसटीडीएस का अनुपालन करने वाले टगों का निर्माण भारतीय शिपयार्डों में होना चाहिए। विस्तृत डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कार्य, जलयान को बनाने वाले शिपयार्ड द्वारा या भारत में किसी सक्षम डिजाइन एजेंसी के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि पत्तन चाहता है तो निर्माण का अधीक्षण का कार्य एससीआई को सौंपने पर विचार किया जा सकता है।
- v. एएसटीडीएस के अनुसार भारत में निर्मित किसी नए टग के संघटन की न्यूनतम अवधि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नये टगों के निर्माण के लिए आवश्यक अवधि से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि पहले टग हेतु सामान्यता 15 महीने की होती है।
- vi. एएसटीडीएस के अनुसार भारत में निर्मित टगों के स्थापन को नियोजित करने के लिए सेवा प्रदत्ताओं को सक्षम बनाने हेतु पत्तनों द्वारा टगों के लिए

(सीधी खरीद के साथ-साथ चार्टर दोनों के लिए) जारी जाने वाली निविदाएं आज के बाद 10 सप्ताह तक की न्यूनतम बोली अवधि के साथ जारी की जानी चाहिए। इससे पार्टी के पास भारत में निर्मित टग जो पहले से है, उनको स्थापित करने या किसी भारतीय शिपयार्ड के साथ उचित निर्माण प्लान तैयार करने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित किया जाएगा। एएसटीडीएस निविदा जारी करने वाले पत्तन को अपेक्षाकृत कम अवधि के अंदर निविदा को अंतिम रूप देने में सहायता प्रदान करेगा।

- vii. ऐसे मामले में जहां निविदा का कोई भी बोलीकर्ता भारत में निर्मित टगों को प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, वहां बोलीकर्ताओं को ऐसा विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें पत्तन की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला वैकल्पिक टग प्रदान किया जा सके बशर्ते कि चार्टर के शुरू होने की तारीख से 18 महीनों के अंदर एएसटीडीएस के अनुसार भारत में निर्मित टग द्वारा पहले प्रदान किए गए टग को प्रतिस्थापित किया जाएगा और इसमें असफल होने पर पार्टी को निविदा में निर्धारित किए गए अनुसार उचित जुर्माना देना पड़ेगा। इस प्रकार चूक करने वाली पार्टियों को पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत सभी पत्तनों के लिए सभी प्रकार के जलयान की चार्टरिंग हेतु भविष्य में निविदाओं में भाग लेने से रोका जाएगा।
- viii. चल रही चार्टर संविदाएं, मौजूदा संविदा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अपनी सामान्य समाप्ति तारीख तक जारी रहेंगी।
- ix. महापत्तनों में होने वाली किसी प्रकार की विशेष आवश्यकता या आकस्मिकताओं के लिए, जहां इस एसओपी का अनुसरण नहीं किया जा सकता, वहां ऐसे पत्तन अनुसरण न करने के कारणों और मंत्रालय द्वारा मांगे गए संगत सबूत को दर्शाते हुए मंत्रालय से विशेष अनापत्ति प्राप्त करेंगे।

3. एएसटीडीएस का विकास एवं प्रवर्तन अनुबंध में दी गई सूचक समयावधि के अनुसार किया जाएगा।

एएसटीडीएस का विकास एवं प्रवर्तन

(सूचक समयावधि)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित समयावधि	अवधि (दिन)	टिप्पणी
1.	आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महापत्तनों द्वारा टर्गों की खरीद/ चार्टरिंग के लिए एसओपी के प्रवर्तन की तारीख	से		
2.	स्थायी विनिर्देशन समिति (एसएससी) का गठन	से+15	15	आईपीए, सीएसएल, एससीआई, आईआरएस, डीजीएस
3.	आईपीए से ब्यौरा	से+45	30	प्रगतिशील रूप से शुरू करने का सुझाव। समग्र पूर्ति की तारीख सूचित की जाए।
4.	एससीआई को (5 प्रकार के लिए) प्राथमिक बेसिक डिजाइन प्रस्तुत करना	से+195	150	प्रस्तुतीकरण प्रगतिशील रूप में होना चाहिए - जब भी पूरे होते हैं, हम इसे स्थायी समिति को प्रस्तुत कर सकते हैं तथापि, समग्र अवधि समान रहेगी।
5.	सीएसएल द्वारा तकनीकी पुनरीक्षण एवं टिप्पणियां जारी करना तथा सुधार को पूरा करना	से+225	30	एससीआई को तीन हफ्तों के अंदर टिप्पणियां देनी हैं।

6.	आईआरएस को अंतिम डिजाइन और तकनीकी विनिर्दिष्टों का प्रस्तुत किया जाना	से+232	7	जीए, लाइंस, आउटलाइन स्पेसिफिकेशन, मिडशिप, प्रोफाइल एंड डेक, प्रिलिम, स्टेब, की पीएंडआईडी, एसएलडी, ईएलए ***
7.	आईआरएस योजना की पुनर्समीक्षा का पूरा किया जाना	से+253	21	एक प्रगतिशील रूप में पूरे किए जाने का सुझाव देना है। समग्र पूर्ति की तारीख सूचित की जाए।
8.	आईआरएस की टिप्पणियों को बंद करना तथा प्राथमिक विनिर्दिष्ट और सौंपी गई डिजाइन के लिए आईआरएस द्वारा 'सैद्धांतिक अनुमोदन' जारी किया जाना	से+274	21	अंतिम आईआरएस टिप्पणियों को शामिल करने के लिए
9.	आईपीए द्वारा प्रस्तुत आवश्यकता के आधार पर शुरू में सहमत विभिन्न प्रकार के टर्गों के लिए आईपीए को एसटीडीएस का प्रस्तुत किया जाना।	से+281	7	दस्तावेज पैकेज को अंतिम रूप से सौंपना
10.	एसटीडीएस अनुपालन की प्रभावी तिथि	से+289	8	

टिप्पणी

डिजाइन पैकेज

* अंतिम 'सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित' एएसटीडीएस डिजाइन पैकेज में जर्नल अरेंजमेंट, ड्राइंग, आउटलाइन स्पेसिफिकेशन, मिडशिप सेक्शन ड्राइंग, प्रोफाइल एंड डेक प्लान्स, प्रिलिम, स्टेबिलिटी केलकुलेशन, प्रमुख प्रणालियों की पीएंडआईडी, इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम तथा इलेक्ट्रिकल लोड एनालिसिस शामिल हैं।

1. एएसटीडीएस के आधार पर जो भी शिपयार्ड जलयानों का निर्माण करेंगे वे इंडेंटिड श्रेणी के नोटेशनों और निरूपण सांविधिक अनुपालन के लिए आईआरएस से 'परियोजना विशिष्ट'* अनुमोदन प्राप्त करेंगे। आईआरएस से अनुमोदन के लिए अपेक्षित प्रारूपी समयावधि आवश्यकता पड़ने पर लगभग 2 महीनों की है।

दस्तावेज जमा कर दिया गया है

2. सैद्धांतिक अनुमोदन, करार चरण के बाद, शिपयार्ड द्वारा कम टर्न अराउंड टाइम के लिए प्रस्तुत किए गए अंतिम डिजाइन के औपचारिक अनुमोदन (आईआरएस द्वारा परियोजना विशिष्ट अनुमोदन) की तीव्र ट्रेकिंग को सक्षम बनाता है। इसके साथ ही, यह शिपयार्डों के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा प्रदान करने के लिए शिपयार्ड को विवरण की फाइन ट्यूनिंग और उत्पादन डिजाइन तथा खरीद सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित लचीलापन सुनिश्चित करता है।

3. एएसटीडीएस पैकेज, निष्पादन के बेंचमार्क स्तर तथा जलयानों, जब उनका निर्माण पूरा हो जाता है, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तर का फ्रेमवर्क परिभाषित करता है तथा इसके साथ ही यह सूचना के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है।